

— आदेश —

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। अतः दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवार मण्डल-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	ऊमा पुता खालू कौम	1350	6-01	उमा शंकर पुता खालू राम	1350	6-01
	माली सांवेह कादीयावास			कौमभारी सांवेह	= 2	6-07
	खातेदार	= 2	6-01	कादीयावास खातेदार		

क्रमांक : 562/20
 प्रतिलिपि पालनार्थ :- 11/9/20
 1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक :

क्रमांक :
 प्रतिलिपि पालनार्थ :-
 1. पटवारी हल्का (डीडवाना) को भोजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना
 दिनांक :

तहसीलदार डीडवाना